

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(17)नविवि/11/2008

जयपुर दिनांक

29 APR 2016

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(17)नविवि/11/2008 दिनांक 07.02.2014 के द्वारा नगर नियोजन सेवा में नियुक्त सहायक नगर नियोजकों को उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष का परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप श्री किशन लाल खाण्डा, सहायक नगर नियोजकों की सेवाएँ राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 के नियम 31 के प्रावधानान्तर्गत नियमित की जाकर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 22 के अनुसार सहायक नगर नियोजक के पद की नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-3 15600-39100 ग्रेड-पे-5400 में परीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से नियमानुसार मूल वेतन 15600+ग्रेड-पे 5400=21000/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	नाम सहायक नगर नियोजक	प्रथम नियुक्ति तिथि	परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतनमान स्वीकृत करने की तिथि
1.	श्री किशन लाल खाण्डा	10.02.2014	09.02.2016	10.02.2016

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत उक्त श्री खाण्डा सहायक नगर नियोजक को आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2017 को देय होगी।

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : 1689.

दिनांक : 29/4/16.

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबेसिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।
6. श्री किशन लाल खाण्डा, सहायक नगर नियोजक द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

57/1001

29-4-16

05

29/04/16

2016

215

10.5-2

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.22.2015 / पार्ट / 3818-22 दिनांक :- 4 MAY 2016
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक(जेडएसपी), मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
4. श्री किशन लाल खाण्डा, सहायक नगर नियोजक, जिला नगर नियोजन इकाई, टोंक।
5. निजी पत्रावली संधारण लिपिक श्री आशीष उपाध्याय, लिपिक ग्रेड-प्रथम।

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।